राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

क्रमांक–एफ / सामा / कार्य0 / निविदा / 02

दिनांक– 10.6.19.

निविदा सूचना

डीलक्स आगार में निगम की उपलब्ध विभिन्न श्रेणी की वाहनों की बाहर से धुलाई–सफाई कार्य हेतु इच्छुक फर्म / व्यक्तियों से सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म / व्यक्ति कार्यालय समय में निविदा फॉर्म एवं शर्तें मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर के कार्यालय से दिनांक 21.06.2019 को दोपहर 02.00बजे तक 200रूपये जमा कराकर प्राप्त कर सकते है। फॉर्म / शर्ते राज्य उपापन पोर्टल एवं निगम वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। निविदायें दिनांक 21.06.2019 को मध्यान्ह पश्चात 03.00बजे तक मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर के कक्ष में जमा करायी जा सकती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 03.30बजे खोली जावेगी।

(कैलाश चंद बड़ाया)

मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार।

Scanned by CamScanner

निविदा फार्म संख्या.............
शुल्क रूपये 200—00

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

सुपर लग्जरी/ऐ0सी0/डीलक्स वाहनों की बाहर से धुलाई—सफाई कार्य हेतु निविदा—फॉर्म

1	आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम	
2	आवेदनकर्ता का जी0एस0टी0/आधार नंबर	
3	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
4	आवेदनकर्ता का दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
6	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फॉर्म हेतु निगम कोष में जमा करायी गयी राशि 200रू की रसीद संख्या/दिनांक	
7	सुपर लग्जरी/ऐ0सी0/डीलक्स वाहनों की अन्दर एवं बाहर से धुलाई एवं सफाई की दर प्रति वाहन	

निविदा की शर्ते—

1. निविदादाता को निविदा धरोहर राशि 10,000रूपये निविदा के साथ जमा करानी होगी। वाहनों की धुलाई—सफाई हेतु वॉशिंग पाउड़र, पानी—बिजली की व्यवस्था निगम द्वारा की जावेगी।
2. सुपर लग्जरी वाहनों की बाहरी बॉडी पर विशेष रूप से चित्रकारी अंकित है, अतः धुलाई—सफाई इस प्रकार करनी होगी कि उक्त पेटिंग का मूल स्वरूप बना रहे। पेंटिंग खराब होने पर ठेकेदार से वसूली की जावेगी।
3. वाहनों की धुलाई के दौरान वाहन के आगे एवं पीछे से वॉशिंग पाउडर एवं पानी से वाहन की धुलाई करनी होगी।
4. वाहनों की बाहर से धुलाई करने के पश्चात सम्पूर्ण वाहन (समस्त शीशों विण्ड़ो ग्लास इत्यादि सहित) को कपड़े से साफ करना होगा।
5. वाहनों की धुलाई—सफाई हेतु फोम, ब्रुश/सूती कपड़े का ही उपयोग करना होगा।
6. कार्यशाला का संचालन हड़ताल या अन्य आकस्मिक कारणों से बन्द रहने पर उन दिवसों में वाहनों की धुलाई—सफाई कार्य न होने से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. प्रतिदिन 2 वाहनों के ईंजन व चैसिस की नीचे से धुलाई—सफाई करनी होगी।
8. तीनों पारियों में जाने वाली वाहनें धुलाई व सफाई कर ही भेजनी होगी, इसके लिये आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारियों की पारी वाईज ठेकदार की व्यवस्था करनी होगी।
9. वाहनें गन्दी पाये जाने पर अथवा वाहन की धुलाई/सफाई की शिकायत प्राप्त होने पर प्रति वाहन 100रू पैनटी ठेकेदार से वसूली की जावेगी। फर्म/ठेकेदार को देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर, ई0एस0आई0 व सी0पी0एफ0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा तथा अन्य किसी प्रकार के टैक्स की देयता का दायित्व फर्म/ठेकेदार का ही रहेगा।
10. निविदादाता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण/वाद दायर किया हुआ होने की स्थिति में आवेदन—पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
11. फर्म के देयक से नियमानुसार उसके कार्यरत श्रमिकों की सीपीएफ/ईएसआई/आयकर व अन्य देय टैक्स की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी। फर्म के भुगतान पर देय जी0एस0टी0 एवं शेष अन्य किसी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का ही रहेगा।
12. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जावेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि आवेदन—पत्र में अंकित शर्ते/प्रावधान हमें स्वीकार है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

Scanned by CamScanner